"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 483] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 नवम्बर 2017 — कार्तिक 18, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 9410/नियम/2017. — **भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 एवं 227 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे :—**

संशोधन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 में, क्रमशः नियम 200, 222 एवं 223 के पश्चात्, नियम 200क, 222क एवं 223क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाये :—

200क. उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों के कोई भी पक्षकार, उक्त कार्यवाहियों के निर्णय/आदेश के प्रवर्तनशील भाग के हिन्दी संस्करण अथवा अंतिम निर्णय/आदेश के संपूर्ण भाग के हिन्दी संस्करण हेतु आवेदन करने तथा प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे ।

222क. अंतिम निर्णय/आदेश के प्रवर्तनशील भाग या संपूर्ण भाग के हिन्दी संस्करण के प्रदाय के लिये भुगतान की जाने वाली शुल्क, सत्यापित प्रतियों के प्रदाय हेतु शुल्क के समान होगी, जैसा कि नियम 222 के अधीन समय–समय पर विहित किया जाये।

223क. **नियम 223(1) के अधीन देय योग्य अनुरुप शुल्क के भुगतान किये जाने पर, प्रयत्न किया जायेगा कि हिन्दी संस्करण, जिसके लिये आवेदन किया गया है, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से सात कार्य दिवस के भीतर जारी किया जाये ।**

हस्ता/—

(गौतम चौरडिया)
रजिस्ट्रार जनरल.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.